



दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

The New India Assurance Company Ltd.

(भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्ववादी / Wholly Owned by Government of India)

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001.

Regd. & Head Office : New India Assurance Building, 87, M. G. Road, Fort, Mumbai - 400 001.

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय - I : न्यू इन्डिया भवन, 34/38, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 023.

Mumbai Regional Office - I : New India Bhavan, 34/38, Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023.

जारीकर्ता कार्यालय / Issuing Office :

दुपहिया पैकेज पॉलिसी

TWO WHEELER PACKAGE POLICY

इसके तहत बीमाधारक द्वारा, प्रस्ताव के माध्यम से और अनुसूची में दर्शायी गयी घोषणा तिथि से, जो इस संविदा का आधार होगी और इसमें शामिल समझी जाएगी, यहां पर प्रस्तुत बीमा के लिए आवेदन किया गया है और इस हेतु अनुसूची में दर्शाये गये अनुसार प्रीमियम का भुगतान किया गया है जो बीमा अवधि के दौरान होने वाली दुर्घटना के फलस्वरूप हानि या क्षति के संबंध में है।

अब यह पॉलिसी इस बात का प्रमाण है कि :

यहां पर शामिल या पृष्ठांकित या अन्यथा यहां पर अभिव्यक्त शर्तों, अपवादों और प्रतिबंधों के अधीन इसे जारी किया जाता है :

खंड - I : बीमाकृत वाहन की हानि या क्षति

- यहां पर बीमाकृत वाहन को और / या उसके उपसाधनों को निम्न कारणों से हुई हानि या क्षति के लिए कंपनी बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देगी।
 - अग्नि, विस्फोट, स्वतः प्रज्वलन या तड़ित द्वारा;
 - संघमारी, गृह-वेधन या चोरी द्वारा;
 - दंगा और हड़ताल द्वारा;
 - भूकंप द्वारा (अग्नि और आघात क्षति);
 - बाढ़, बवंडर, प्रभंजन, आँधी, झंझावात, आप्लावन, चक्रवात, ओला वृष्टि, पाला द्वारा;
 - दुर्घटनात्मक बाह्य कारणों द्वारा;
 - दुर्भावनाजन्य कार्यद्वारा;
 - आतंकवादी गतिविधि द्वारा;
 - सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग, लिफ्ट, एलिवेटर या हवाई पारवहन के दौरान;
 - भूस्खलन, चट्टान खिसकने के कारण।

बदले गए पुर्जों के लिए निम्नलिखित दरों पर मूल्यह्रास के लिए कटौती होगी :

- सभी रबड़ / नाइलोन / प्लास्टिक पुर्जों, टायरों, ट्यूब और बैटरी के लिए - 50%
- फाइबर ग्लास के पुर्जों के लिए - 30%
- कांच (ग्लास) से बने सभी पुर्जों के लिए - शून्य
- अन्य सभी पुर्जों, जिनमें लकड़ी से बने पुर्जे भी शामिल हैं, के लिए निम्न अनुसूची के अनुसार मूल्यह्रास की दर लागू होगी :

वाहन की आयु	मूल्यह्रास का %
6 माह से अधिक नहीं	शून्य
6 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम	5%
1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्षों से कम	10%
2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्षों से कम	15%
3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्षों से कम	25%
4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम	35%
5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्षों से कम	40%
10 वर्षों से अधिक	50%

- "पेंटिंग के लिए मूल्यह्रास दर : पेंटिंग के संबंध में, 50% की मूल्यह्रास दर, पेंटिंग के कुल प्रभारों की (केवल) मैटीरियल लागत पर लागू होगी। पेंटिंग प्रभारों के समेकित मूल्यों के मामले में मूल्यह्रास लागू करने के लिए, मैटीरियल कंपोनेंट्स केवल 25% ही शामिल किये जाएंगे।"

- कंपनी निम्न के संबंध में कोई भी भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी :-

- परिणामी हानि, मूल्यह्रास, टूट-फूट, यांत्रिक या विद्युत खराबी, रुकावट या टूटफूट;
- टायर और ट्यूब को हुई क्षति वह केवल तभी दी जायेगी जब उसी समय बीमाकृत वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ हो और उस स्थिति में कंपनी प्रतिस्थापन लागत के 50% तक भुगतान करेगी, और
- संघमारी, गृहवेधन या चोरी के कारण उपसाधनों की हानि या क्षति वह केवल तभी दी जायेगी जब उसी समय वाहन की चोरी भी हुई हो; और
- जब बीमाधारक या कोई व्यक्ति जो बीमाधारक की जानकारी में और अनुमति से, मदिरा या नशीली दवाइयों के प्रभाव में रहते हुए वाहन चला रहा हो और दुर्घटनात्मक हानि या क्षति हो।

- इस पॉलिसी के अधीन आवरित हानि या क्षति के कारण यदि वाहन चलने में असमर्थ हो जाए तो कंपनी उस वाहन की सुरक्षितता के लिए और उसे नजदीकी मरम्मतकर्ता के पास ले जाने तथा पुनः बीमाधारक को सुपुर्द करने के लिए होनेवाले उचित लागत का भुगतान करेगी। जो किसी एक दुर्घटना के संबंध में कुल मिलाकर रु. 300/- से अधिक नहीं होगी।

Whereas the insured by a proposal and declaration dated as stated in the Schedule which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein has applied to the Company for the insurance hereinafter contained and has paid the premium mentioned in the Schedule as consideration for such insurance in respect of accidental loss or damage occurring during the period of insurance.

NOW THIS POLICY WITNESSETH :

That subject to the Terms, Exceptions and Conditions contained herein or endorsed or expressed hereon :

SECTION - I : LOSS OF OR DAMAGE TO THE VEHICLE INSURED

- The Company will indemnify the insured against loss or damage to the vehicle insured hereunder and/or its accessories whilst thereon.
 - by fire explosion self ignition or lightning;
 - by burglary housebreaking or theft;
 - by riot and strike;
 - by earthquake (fire and shock damage);
 - by flood typhoon hurricane storm tempest inundation cyclone hail-storm frost;
 - by accidental external means;
 - by malicious act;
 - by terrorist activity;
 - whilst in transit by road rail inland-waterway lift elevator or air;
 - by landslide rockslide.

Subject to a deduction for depreciation at the rates mentioned below in respect of parts replaced :

- For all rubber/nylon/plastic parts, tyres, tubes and batteries - 50%
- For fibre glass components - 30%
- For all parts made of glass - Nil
- Rate of depreciation for all other parts including wooden parts will be as per the following schedule :

AGE OF THE VEHICLE	% OF DEPRECIATION
Not exceeding 6 months	Nil
Exceeding 6 months but not exceeding 1 year	5%
Exceeding 1 year but not exceeding 2 years	10%
Exceeding 2 years but not exceeding 3 years	15%
Exceeding 3 years but not exceeding 4 years	25%
Exceeding 4 years but not exceeding 5 years	35%
Exceeding 5 years but not exceeding 10 years	40%
Exceeding 10 years	50%

- "Rate of depreciation for painting : In the case of painting, the depreciation rate of 50% shall be applied only on the material cost of total painting charges. In case of consolidated bill for painting charges, the material component shall be considered as 25% of total painting charges for the purpose of applying the depreciation."

- The Company shall not be liable to make any payment in respect of :-

- consequential loss, depreciation, wear and tear, mechanical or electrical breakdown, failures or breakages;
- damage to tyres and tubes unless the vehicle insured is damaged at the same time in which case the liability of the company shall be limited to 50% of the cost of replacement;
- loss of or damage to accessories by burglary housebreaking or theft unless the vehicle is stolen at the same time; and
- any accidental loss or damage suffered whilst the insured or any person driving the vehicle with the knowledge and consent of the insured is under the influence of intoxicating liquor or drugs.

- In the event of the vehicle being disabled by reason of loss or damage covered under this Policy the Company will bear the reasonable cost of protection and removal to the nearest repairer and redelivery to the insured but not exceeding in all Rs. 300/- in respect of any one accident.

बीमाधारक क्षति के कारण हुई वाहन में जरूरी मरम्मत को प्राधिकृत कर सकता है जिसके लिए कंपनी इस पॉलिसी के अधीन उत्तरदायी होगी, बशर्ते :

- ऐसे मरम्मत की अनुमानित लागत, जिसमें प्रतिस्थापन यदि हो, तो वह भी शामिल है, रु. 150/- से अधिक न हो।
- कंपनी के पास मरम्मत लागत का विस्तृत अनुमान पहले ही प्रस्तुत किया गया हो, अथवा
- बीमाधारक कंपनी को हर सहायता देगा ताकि कंपनी यह देख सके कि ऐसी मरम्मत आवश्यक है और लगाये गये प्रभार उचित हैं।

बीमा राशि - बीमाधारक का घोषित मूल्य (आई डी वी)

बीमाधारक का घोषित मूल्य (आई डी वी) इस पॉलिसी के उद्देश्य के लिए वाहन की बीमा राशि मानी जाएगी जो बीमाकृत वाहन के लिए प्रत्येक पॉलिसी अवधि के आरंभ में तय की जाती है।

वाहन का आई डी वी, (तथा वाहन में यदि कोई उपसाधन लगे हुए हैं) बीमा के लिए प्रस्तुत वाहन के ब्रान्ड और मोडेल के लिए निर्माणकर्ता द्वारा सूचीबद्ध की गयी बिक्री कीमत के अनुसार बीमा के आरंभ में / नवीकरण पर तय किया जाता है और निम्न निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार मूल्यह्रास पर समायोजित किया जाता है।

नीचे दी गई आयु के अनुसार मूल्यह्रास की अनुसूची केवल समग्र हानि / प्रलक्षित समग्र हानि (टीएल / सीटीएल) दावों के लिए ही लागू है।

वाहन का आई डी वी निश्चित करने के लिए मूल्यह्रास की अनुसूची

वाहन की आयु	आई डी वी निश्चित करने के लिए मूल्यह्रास का %
6 माह से अधिक नहीं	5%
6 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम	15%
1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्षों से कम	20%
2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्षों से कम	30%
3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्षों से कम	40%
4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम	50%

5 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों के लिए और वाहनों के अप्रचलित मोडेल के लिए (अर्थात जिन मोडेल को निर्माणकर्ता ने निर्मित करना बंद कर दिया है) आई डी वी का निर्णय बीमाकर्ता और बीमाधारक की आपसी सहमति के आधार पर लिया जाता है।

आई डी वी को पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान समग्र हानि (टीएल) / प्रलक्षित समग्र हानि (सीटीएल) दावों के उद्देश्य के लिए और अधिक मूल्यह्रास लगाये बिना "बाजार मूल्य" समझा जायेगा।

बीमाकृत वाहन को प्रलक्षित समग्र हानि तब समझा जायेगा जब वाहन को पुनः प्राप्त करने और / या उसकी मरम्मत की कुल लागत, पॉलिसी की शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, वाहन के आई डी वी के 75% से अधिक हो रही हो।

खंड - II : तृतीय पक्ष के प्रति दायित्व

- इसके साथ जोड़ी गयी अनुसूची में बतायी गयी दायित्व की सीमा के अधीन, कंपनी बीमाधारक को, बीमाकृत वाहन के उपयोग के कारण या उसके द्वारा हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप बीमाधारक जिन निम्न दायित्वों का भुगतान करने के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी होगी उन सभी के लिए क्षतिपूर्ति करेगी।
 - किसी व्यक्ति की मृत्यु या शरीरिक चोट, जिसमें बीमाकृत वाहन में ले जाये जा रहे लोग भी शामिल हैं (बशर्ते वे भाड़े या पारिश्रमिक पर न ले जाये जा रहे हों) लेकिन यह मोटर वाहन अधिनियम की आवश्यकतानुसार जरूरी हो, तथापि बीमाधारक द्वारा ऐसे व्यक्ति को रोजगार के दौरान ले जाया जा रहा हो और ऐसी मृत्यु या चोट उत्पन्न हो जाये तो कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
 - बीमाधारक के स्वामित्व की या उसके न्यास में रखी गयी या उसके कब्जे में या नियंत्रण में रखी गयी संपत्ति को छोड़कर अन्य संपत्ति को क्षति।

बशर्ते हमेशा यह कि कंपनी उस मृत्यु, चोट या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जो किसी वाहन मार्ग की सीमाओं से बाहर उत्पन्न हुई हो या घटी हो या वाहन पर लदान के लिए माल के आने के संबंध में हुई यात्रा में या वाहन से माल उतारने के बाद माल को ले जाने के दौरान हुई हो।

- कंपनी अपनी लिखित सहमति पर किये गये सभी लागतों और व्ययों का भुगतान करेगी।
- बीमाधारक को इस खंड द्वारा दी गयी क्षतिपूर्ति की सीमाओं के अनुसार और उनके अध्यक्षीन कंपनी किसी भी ड्राइवर को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी जो बीमाधारक के आदेशानुसार या बीमाधारक की अनुमति से वाहन चला रहा हो बशर्ते वह ड्राइवर खुद ही बीमाधारक के रूप में व्यवहार कर रहा हो जो इस पॉलिसी में लागू शर्तों, अपवादों और प्रतिबंधों के अधीन हो।
- इस पॉलिसी के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में कंपनी ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाये गये दायित्व के मामले में उसके निजी प्रतिनिधि को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार और उसकी सीमाओं के अधीन क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी बशर्ते ऐसे निजी प्रतिनिधि बीमाधारक के रूप में व्यवहार पूर्ति करेंगे और इस पॉलिसी की लागू शर्तों, अपवादों और प्रतिबंधों के अधीन कार्य करेंगे।
- कंपनी अपने विकल्प पर
 - इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी मृत्यु के लिए जांच-पड़ताल या वृहत पूछताछ पर प्रतिवेदन आयोजित कर सकती है।

और

- किसी कानूनी अदालत में किसी कार्यवाई या आरोपित दोष या किसी घटना से संबंधित कार्यवाही में जो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के अधीन हो, रक्षात्मक रुख ले सकती है।

The insured may authorise the repair of the vehicle necessitated by damage for which the Company may be liable under this Policy provided that :

- the estimated cost of such repair including replacements, if any, does not exceed Rs. 150/-
- the Company is furnished forthwith with a detailed estimate of the cost of repairs; and
- the insured shall give the Company every assistance to see that such repair is necessary and the charges are reasonable.

SUM INSURED - INSURED'S DECLARED VALUE (IDV)

The Insured's Declared Value (IDV) of the vehicle will be deemed to be the 'SUM INSURED' for the purpose of this policy which is fixed at the commencement of each policy period for the insured vehicle.

The IDV of the vehicle (and side car / accessories, if any, fitted to the vehicle) is to be fixed on the basis of manufacturer's listed selling price of the brand and model as the insured vehicle at the commencement of insurance/renewal and adjusted for depreciation (as per schedule below).

The schedule of age-wise depreciation as shown below is applicable for the purpose of Total Loss/Constructive Total Loss (TL/CTL) claims only.

THE SCHEDULE OF DEPRECIATION FOR FIXING IDV OF THE VEHICLE

AGE OF THE VEHICLE	% OF DEPRECIATION FOR FIXING IDV
Not exceeding 6 months	5%
Exceeding 6 months but not exceeding 1 year	15%
Exceeding 1 year but not exceeding 2 years	20%
Exceeding 2 years but not exceeding 3 years	30%
Exceeding 3 years but not exceeding 4 years	40%
Exceeding 4 years but not exceeding 5 years	50%

IDV of vehicles beyond 5 years of age and of obsolete models of the vehicles (i.e. models which the manufacturers have discontinued to manufacture) is to be determined on the basis of an understanding between the insurer and the insured.

IDV shall be treated as the 'Market Value' throughout the policy period without any further depreciation for the purpose of Total Loss (TL) / Constructive Total Loss (CTL) claims.

The insured vehicle shall be treated as a CTL if the aggregate cost of retrieval and/of repair of the vehicle, subject to terms and conditions of the policy, exceeds 75% of the IDV of the vehicle.

SECTION - II : LIABILITY TO THIRD PARTIES

- Subject to the Limits of liability as laid down in the schedule hereto, the Company will indemnify the insured in the event of accident caused by or arising out of the use of the vehicle against all sums which the insured shall become legally liable to pay in respect of
 - death of or bodily injury to any person including occupants carried in the vehicle (provided such occupants are not carried for hire or reward) but except so far as it is necessary to meet the requirements of Motor Vehicles Act, the Company shall not be liable where such death or injury arise out of and in the course of the employment of such person by the insured.
 - damage to property other than property belonging to the insured or held in trust or in the custody or control of the insured.

PROVIDED ALWAYS that the Company shall not be liable in respect of death injury or damage caused or arising beyond the limits of any carriageway or thoroughfare in connection with the bringing of the load to the vehicle for loading thereon or the taking away of the load from the vehicle after unloading there from.

- The Company will pay all costs and expenses incurred with its written consent.
- In terms of and subject to the limitation of the indemnity granted by this section to the insured the Company will indemnify any driver who is driving the insured vehicle on the insured's order or with insured's permission provided that such driver shall as though he/she was the insured observe fulfil and be subject to the terms exceptions and conditions of this policy in so far as they apply.
- In the event of the death of any person entitled to indemnity under this policy the Company will in respect of the liability incurred by such person indemnify his/her personal representative in terms of and subject to the limitations of this Policy provided that such personal representative shall as though such representative was the insured observe fulfil and be subject to the terms exceptions and conditions of this policy in so far as they apply.
- The Company may at its own option
 - arrange for representation at any Inquest or Fatal Inquiry in respect of any death which may be subject of indemnity under this Policy.
 - undertake the defence of proceedings in any Court of Law in respect of any act or alleged offence causing or relating to any event which may be the subject of indemnity under this Policy.

कुछ शर्तों से बचना और वसूली का अधिकार

इस पॉलिसी या इसके किसी पृष्ठांकन की कोई भी बात मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत या उसके उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति के इस पॉलिसी के द्वारा क्षतिपूर्ति पाने या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा राशि वसूल करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

परंतु बीमाधारक कंपनी को वह सभी राशियां वापस करेगा जो कंपनी ने अदा की हैं और कंपनी उक्त उपबंधों के अलावा उन्हें अदा करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

क्षतिपूर्ति की सीमाएं लागू करना

किसी दुर्घटना में एक से अधिक व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति शामिल होने पर इस पॉलिसी की और / या उस पर लगाये गये किसी पृष्ठांकन की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि पर सीमा लागू होगी जो क्षतिपूर्ति दिये गये सभी व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति राशि की सकल राशि पर लागू होगी और ऐसी क्षतिपूर्ति में बीमाधारक को वरियता दी जाएगी।

खंड - III : मालिक - ड्राइवर के लिए वैयक्तिक दुर्घटना आवरण

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों अपवादों और प्रतिबंधों के अधीन कंपनी वचन देती है कि बीमाकृत वाहन के साथ सीधे संपर्क में वाहन के मालिक-ड्राइवर की या वाहन में चढ़ते / उतरते समय या बीमाकृत वाहन में सह-ड्राइवर के रूप में यात्रा करते समय सह-ड्राइवर की हिसक दुर्घटनात्मक, बाह्य और दृश्य कारणों से, जो किसी अन्य कारण से जुड़ा न हो, मृत्यु हो जाये / शारीरिक चोट लग जाये, तो ऐसी चोट लगने के बाद से छह कैलेंडर माह के अंदर निम्न घटित होने पर कंपनी निम्नलिखित मानदंड के अनुसार मुआवजा देगी :

चोट का स्वरूप	मुआवजे का मानदंड
i) मृत्यु	100%
ii) दो अंगों या दोनों आँखों की दृष्टि या एक अंग और एक आँख की दृष्टि की हानि	100%
iii) एक अंग या एक आँख की दृष्टि की हानि	50%
iv) उपरोक्त को छोड़कर चोट के कारण हुई स्थायी पूर्ण विकलांगता	100%

बशर्त हमेशा या कि

क. मालिक-ड्राइवर के मामले में किसी एक घटना से उत्पन्न हानि के लिए मुआवजा उपरोक्त (i) से (iv) में से किसी एक ही मद के अंतर्गत मिलेगा तथा बीमाकर्ता का सकल दायित्व किसी एक बीमा अवधि के दौरान कुल रु. 1 लाख से अधिक नहीं होगा।

ख. निम्न स्थिति के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, पूर्णतः रूप से या आंशिक रूप से उत्पन्न या उसकी वजह से निर्मित होने के लक्षण हों तो मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा (क) जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना, आत्महत्या या आत्महत्या की, शारीरिक दोष या अस्वस्थता की कोशिश करना या (ख) मदिरा या नशीली दवाइयों के सेवन के बाद उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित होना।

ग. यह मुआवजा सीधे बीमाधारक या उसके विधिक प्रतिनिधि को दिया जायेगा जिसके लिए बीमाधारक की चोट के संबंध में प्राप्त रसीद पूर्ण वितरण समझी जायेगी।

घ. यह आवरण निम्न बातों के अधीन है :-

(क) मालिक - ड्राइवर बीमाकृत वाहन का पंजीकृत मालिक है।

(ख) पॉलिसी में मालिक - ड्राइवर बीमाधारक है।

(ग) मालिक - ड्राइवर के पास दुर्घटना के समय प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है, जो केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 3 के उपबंधों के अनुसरण में है।

सामान्य अपवाद (पॉलिसी के सभी खंडों पर लागू)

कंपनी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगी

- भौगोलिक क्षेत्र के बाहर या घटी कोई दुर्घटनात्मक हानि या क्षति और/या दायित्व;
- किसी संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न कोई दावा;
- बीमाकृत वाहन निम्न स्थिति में रहने के दौरान हुई या घटी कोई दुर्घटनात्मक हानि, क्षति और/या दायित्व :
(क) 'उपयोग की सीमाएं' के अनुसार उपयोग न किया जा रहा हो।

या

(ख) ड्राइवर क्लॉज में बताये गये ड्राइवर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वाहन चला रहा हो या वाहन चलाने हेतु उसे दिया गया हो।

4. (क) किसी परिणामी हानि के फलस्वरूप या उसके उत्पन्न किसी संपत्ति की कोई दुर्घटनात्मक हानि या क्षति या कोई नुकसान या व्यय।

(ख) न्यूक्लीय इंधन के ज्वलन से उत्पन्न कोई न्यूक्लीय शेष के कारण या आयनीकृत विकीरण या न्यूक्लीय इंधन से रेडियो सक्रियता द्वारा दूषण के कारण या परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई दायित्व, इस अपवाद के उद्देश्य के लिए ज्वलन में न्यूक्लीय विखंडन की स्वतः समाविष्ट प्रक्रिया भी शामिल होगी।

5. न्यूक्लीय हथियार सामग्री के कारण या उससे उत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दुर्घटनात्मक हानि या क्षति या दायित्व।

6. युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रुओं की कार्यवाही, युद्ध स्थिति या युद्ध जैसी कार्यवाहियां (चाहे युद्ध घोषित होने से पहले हो या बाद में हो), नागरी युद्ध, क्रांति, विद्रोह, सैनिकी या किसी शक्ति द्वारा जबरदस्ती कब्जा के कारण सीधे या अप्रत्यक्ष या आसन्न कारण से या दूरस्थ कारण से या उनके फलस्वरूप या वजह से या संबंधित होने से अथवा उक्त घटनाओं के किसी भी परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हुई कोई दुर्घटनात्मक हानि, क्षति और/या दायित्व। इसके अंतर्गत बीमाधारक को कोई दावा करना हो तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि दुर्घटनात्मक हानि, क्षति और/या दायित्व स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है और वह किसी भी तरह से उक्त घटनाओं से संबंधित नहीं है या उनके योगदान से नहीं हुआ है या उनकी वजह से नहीं हुआ है या उनके किसी परिणाम के कारण

AVOIDANCE OF CERTAIN TERMS AND RIGHT OF RECOVERY

Nothing in this policy or any endorsement hereon shall affect the right of any person indemnified by this Policy or any person to recover an amount under or by virtue of the provisions of the Motor Vehicles Act.

But the insured shall repay to the Company all sums paid by the Company which the Company would not have been liable to pay but for the said provisions.

APPLICATION OF LIMITS OF INDEMNITY

In the event of any accident involving indemnity to more than one person any limitation by the terms of this Policy and/or of any Endorsement thereon of the amount of any indemnity shall apply to the aggregate amount of indemnity to all person indemnified and such indemnity shall apply in priority to the insured.

SECTION - III : PERSONAL ACCIDENT COVER FOR OWNER - DRIVER

Subject otherwise to the terms exception conditions and limitations of this Policy, the Company undertakes to pay compensation as per the following scale for bodily injury/death sustained by the owner-driver of the vehicle in direct connection with the vehicle insured or whilst mounting into/dismounting from or traveling in the insured vehicle as a co-driver, caused by violent accidental, external and visible means which independent of any other cause shall within six calendar months of such injury result in:

Nature of Injury	Scale of compensation
i) Death	100%
ii) Loss of two limbs or sight of two eyes or one limb and sight of one eye	100%
iii) Loss of one limb or sight of one eye	50%
iv) Permanent total disablement from injuries other than named above	100%

Provided always that

- the compensation shall be payable under only one of the items (i) to (iv) above in respect of the owner - driver arising out of any one occurrence and the total liability of the insurer shall not in the aggregate exceed the sum of Rs. 1 lakh during any one period of insurance.
- no compensation shall be payable in respect of death or bodily injury directly or indirectly wholly or in part arising or resulting from or traceable to (a) intentional self injury suicide or attempted suicide physical defect or infirmity or (b) an accident happening whilst such person is under the influence of intoxicating liquor or drugs.
- Such compensation shall be payable directly to the insured or to his/her legal representatives whose receipt shall be the full discharge in respect of the injury to the insured.
- This cover is subject to :-
 - the owner-driver in the registered owner of the vehicle insured herein.
 - the owner-driver is the insured named in this policy.
 - the owner-driver holds an effective driving license, in accordance with the provisions of Rule 3 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, at the time of the accident.

GENERAL EXCEPTIONS (Applicable to all Sections of the Policy)

The Company shall not be liable under this Policy in respect of

- any accidental loss or damage and/or liability caused sustained or incurred outside the geographical area;
- any claim arising out of any contractual liability;
- any accidental loss damage and/or liability caused sustained or incurred whilst the vehicle insured herein is :
 - being used otherwise than in accordance with the 'Limitations as to Use'or
- being driven by or is for the purpose of being driven by him/her in the charge of any person other than a Driver as stated in the Driver's Clause.
- (a) any accidental loss or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising there from or any consequential loss.
- (b) any liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this exception combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.
- any accidental loss or damage or liability directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from nuclear weapons material.
- any accidental loss damage and/or liability directly or indirectly or proximately or remotely occasioned by contributed to by or traceable to or arising out of or in connection with war, invasion, the act of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether before or after declaration of war) civil war, mutiny rebellion, military or usurped power or by any direct or indirect consequence of any of the said occurrences and in the event of any claim hereunder the insured shall prove that the accidental loss damage and/or liability arose independently of and was in on way connected with or occasioned by or contributed to by or traceable to any of the said

नहीं हुआ है और यदि वह ऐसा सिद्ध नहीं कर पाये तो कंपनी उस दावे के संबंध में कोई भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

अंशवहन

कंपनी इस पॉलिसी के खंड - I के अंतर्गत प्रत्येक और हर दावे के लिए (बीमाकृत वाहन की हानि या क्षति) अनुसूची में बताये गये अंशवहन के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

शर्तें

यह पॉलिसी और अनुसूची एकसाथ पढ़ी जायेगी और किसी शब्द या अभिव्यक्ति का इस पॉलिसी के किसी भाग में या उसकी अनुसूची में यदि कोई विशिष्ट अर्थ है तो वही अर्थ हर जगह, जहां वह शब्द लिखा गया है वहां, लागू होगा।

1. किसी दुर्घटनात्मक हानि या क्षति के घटित होने पर और उसके लिए दावा करने की स्थिति में कंपनी को तत्काल लिखित रूप में सूचना भेजी जाएगी और उसके बाद बीमाधारक द्वारा कंपनी को जरूरी सभी जानकारी और सहायता दी जायेगी। किसी भी पत्र, दावा, सूचना, समन्वय और/या प्रक्रिया या प्रति प्राप्त होने पर बीमाधारक उसे तत्काल कंपनी के पास भेज देगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत उत्पन्न हो सकनेवाले दावे की स्थिति में जो घातक चोट के संबंध में हो या ऐसी किसी घटना के घटित होने पर अपेक्षित अदालती कार्यवाई, जाँच-पड़ताल की जानकारी बीमाधारक को प्राप्त होने पर उसकी भी लिखित सूचना कंपनी को देगा। किसी चोरी या अन्य आपराधिक कार्य के मामले में जहां इस पॉलिसी के अंतर्गत दावा हो सकता है वहां बीमाधारक तत्काल पुलिस को सूचित करेगा और दोषी को सजा दिलवाने में कंपनी के साथ सहयोग करेगा।
2. कंपनी की लिखित स्वीकृति के बिना बीमाधारक या उसकी ओर से कोई व्यक्ति किसी प्रकार की स्वीकृति, प्रस्ताव, वचन, भुगतान या क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। कंपनी इस बात का अधिकार रखती है कि यदि वह चाहे तो बीमाधारक के नाम से किसी दावे के संबंध में प्रतिरक्षा या निपटान कर सकती है या अन्यथा अपने हित में बीमाधारक के नाम से क्षतिपूर्ति या क्षति के लिए कोई दावा हेतु मुकदमा चला सकती है तथा किसी कार्यवाही को या किसी दावे को निपटाने की प्रक्रिया में उसे पूरा निर्णयाधिकार प्राप्त होगा और बीमाधारक इस बारे में कंपनी के लिए आवश्यक सभी जानकारी और सहायता देगा।
3. कंपनी अपने विकल्प के अनुसार वाहन या उसके किसी पुर्जे को और/या उसके उपसाधनों की मरम्मत करने, पुनःस्थापन करने या प्रतिस्थापन करने का निर्णय ले सकती है अथवा हानि या क्षति की राशि का नकद में भुगतान कर सकती है और कंपनी का दायित्व निम्न से अधिक नहीं होगा:

(क) वाहन की समग्र हानि / प्रलक्षित समग्र हानि : अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहन के लिए बीमाधारक का घोषित मूल्य (आईडीवी) (जिसमें उसमें लगे उपसाधन भी शामिल हैं) जिसमें से नष्ट सामग्री का मूल्य घटाया जायेगा। या

(ख) वाहन की आंशिक हानियाँ, अर्थात् समग्र हानि / प्रलक्षित समग्र हानि के अलावा हुई हानियाँ : मूल्यह्रास की सीमाओं के अधीन गुम हुए / क्षतिग्रस्त पुर्जों की मरम्मत और/या प्रतिस्थापन के लिए वास्तविक और योग्य लागत।

4. बीमाधारक वाहन की हानि और क्षति से सुरक्षा हेतु सभी योग्य कदम उठायेगा और उसे सही स्थिति में रखेगा तथा कंपनी के पास किसी भी समय वाहन या उसके किसी पुर्जे या बीमाधारक के ड्राइवर या कर्मचारी की जाँच करने की पूरी सहूलियत और अधिकार होगा। किसी दुर्घटना या खराबी के मामले में, वाहन को और अधिक क्षति या हानि न हो इस हेतु उचित एहतियात बरते बिना अकेले छोड़ा नहीं जायेगा। यदि वाहन आवश्यक मरम्मत से पहले चलाया जाता है और उससे वाहन क्षति बढ़ जाती है या अधिक क्षति हो जाती है तो वह बीमाधारक का अपना जोखिम होगा।
5. कंपनी बीमाधारक के अंतिम ज्ञात पते पर रिकार्ड की जानेवाली सुपुर्दगी द्वारा सात दिनों की सूचना से पॉलिसी रद्द कर सकती है और ऐसे मामले में वह बीमाधारक को प्रदत्त प्रीमियम की वापसी करेगी जिसमें से जितनी अवधि के लिए पॉलिसी जारी थी उतने के लिए यथानुपात प्रीमियम की कटौती की जायेगी। अथवा बीमाधारक द्वारा किसी भी समय सात दिनों की सूचना रिकार्ड की जानेवाली सुपुर्दगी द्वारा देते हुए पॉलिसी रद्द की जा सकती है बशर्तें पॉलिसी अवधि में कोई दावा न किया गया हो तो बीमाधारक को प्रीमियम की वापसी पाने का अधिकार है जिसमें से पॉलिसी जारी रहने की अवधि के लिए कंपनी अत्यावधि दरों पर प्रीमियम की कटौती करेगी। प्रीमियम की वापसी कंपनी द्वारा न्यूनतम रु. 100/- अपने पास रखने के बाद की जायेगी (या रु. 25/- जब वाहन अंधे / विकलांग / दिमागी तौर पर विकलांग लोगों के उपयोग के लिए विशिष्ट तौर पर डिजाइन / परिवर्तित किये गये हों) जब वाहन का स्वामित्व अंतरित किया जाता है तब पॉलिसी तब तक रद्द नहीं की जा सकती जब तक कि उस वाहन को दूसरे स्थान पर बीमाकृत करने संबंधी सबूत प्रस्तुत न किया जाये।
6. जब कोई घटना घटित हो और उससे इस पॉलिसी के अलावा दूसरी पॉलिसी के अंतर्गत भी दायित्व का दावा किये जा सकने की गुंजाइश हो तो कंपनी किसी भी मुआवजे, लागत या व्यय में अपने यथानुपात हिस्से का ही भुगतान करने या योगदान देने के लिए उत्तरदायी होगी।
7. यदि पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की राशि के संबंध में विवाद या मतभिन्नता हो (जिसमें अन्यथा दायित्व स्वीकार्य हो), तो अन्य सभी प्रश्नों से हटाकर यह विवाद एकमात्र मध्यस्थ के निर्णय हेतु संदर्भित किया जायेगा जिसे विवाद में शामिल पक्ष लिखित रूप में नियुक्त करेंगे या किसी पक्ष द्वारा मध्यस्थता की पहल करने के बाद 30 दिनों तक एकल मध्यस्थ पर कोई निर्णय न हो तो मामले को 3 मध्यस्थों के पैनल को संदर्भित किया जायेगा जिनमें हर विवाद पक्ष द्वारा एक-एक मध्यस्थ नियुक्त किया जायेगा और उन दो मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की जायेगी जो मध्यस्थता का अध्यक्ष होगा और यह मध्यस्थता कार्यवाही आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के उपबंधों के अंतर्गत एवं उसके अनुसार की जायेगी।

यह पूर्णतः स्वीकृत और समझा गया है कि ऐसा कोई विवाद या भिन्नता इसके अंतर्गत मध्यस्थता को संदर्भित नहीं की जायेगी यदि कंपनी ने इस पॉलिसी के संबंध में कोई दायित्व स्वीकार ही न किया हो या उस पर विवाद हो।

यहाँ यह स्पष्टतः वर्णित और घोषित किया जाता है कि इस पॉलिसी पर कोई कार्यवाई या मुकदमा चलाने के किसी अधिकार से पहले यह अनिवार्य है कि इस प्रकार मध्यस्थ / मध्यस्थों का हानि या क्षति की राशि के संबंध में निर्णय पहले प्राप्त कर लें।

यहाँ यह भी स्पष्टतः स्वीकृत और घोषित किया जाता है कि यदि कंपनी इसके तहत बीमाधारक के किसी दावे के संबंध में अपना दायित्व अस्वीकार करती है और ऐसी अस्वीकृति की तिथि से 12 कैलेंडर माह के अंदर मामले को कानूनी अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह दावा सभी प्रयोजनों के लिए समाप्त समझा जायेगा और उसके बाद किसी भी परिस्थिति में वह दोबारा खोला नहीं जायेगा।

occurrences or any consequences thereof and in default of such proof, the Company shall not be liable to make any payment in respect of such a claim.

DEDUCTIBLE

The Company shall not be liable for each and every claim under Section - I (loss of damage to the vehicle insured) of this Policy in respect of the deductible stated in the schedule.

CONDITIONS

This Policy and the Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule shall bear the same meaning wherever it may appear.

1. Notice shall be given in writing to the Company immediately upon the occurrence of any accidental loss or damage in the event of any claim and thereafter the insured shall give all such information and assistance as the Company shall require. Every letter or claim writ summons and/or process or copy thereof shall be forwarded to the Company immediately on receipt by the insured. Notice shall also be given in writing to the Company immediately the insured shall have knowledge of any impending prosecution, inquest or fatal inquiry in respect of any occurrence which may give rise to a claim under this Policy. In case of theft or criminal act which may be the subject of a claim under this Policy the insured shall give immediate notice to the police and co-operate with the Company in securing the conviction of the offender.
2. No admission, offer, promise, payment or indemnity shall be made or given by or on behalf of the insured without the written consent of the Company which shall be entitled if it so desires to take over and conduct in the name of the insured the defence or settlement of any claim or to prosecute in the name of the insured for its own benefit any claim for indemnity or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim and the insured shall give all such information and assistance as the Company may require.
3. The Company may at its own option repair or replace the vehicle or part thereof and/or its accessories or may pay in cash the amount of the loss or damage and the liability of the Company shall not exceed:
 - (a) for total loss / constructive total loss of the vehicle - the Insured's Declared Value (IDV) of the vehicle (including accessories thereon) as specified in the Schedule less the value of the wreck.
 - (b) for partial losses, i.e. losses other than Total Loss Constructive Total Loss of the vehicle - actual and reasonable costs of repair and/or replacement of parts lost or damaged subject to depreciation as per limits specified.
4. The insured shall take all reasonable steps to safeguard the vehicle from loss or damage and to maintain it in efficient condition and the Company shall have at all times free and full access to examine the vehicle or any part thereof or any driver or employee of the insured. In the event of any accident or breakdown, the vehicle shall not be left unattended without proper precautions being taken to prevent further damage or loss and if the vehicle be driven before the necessary repairs are effected any extension of the damage or any further damage to the vehicle shall be entirely the insured's own risk.
5. The Company may cancel the policy by sending seven days notice by recorded delivery to the insured at insured's last known address and in such event will return to the insured the premium paid less the pro-rata portion thereof for the period the Policy has been in force or the policy may be cancelled at any time by the insured on seven days' notice by recorded delivery and provided no claim has arisen during the currency of the policy, the insured shall be entitled to a return of premium less premium at the Company's Short Period rates for the period the Policy has been in force. Return of the premium by the company will be subject to retention of the minimum premium of Rs. 100/- (or Rs. 25/- in respect of vehicles specifically designed/modified for use by blind/handicapped/mentally challenged person). Where the ownership of the vehicle is transferred, the policy cannot be cancelled unless evidence that the vehicle is insured elsewhere is produced.
6. If at the time of occurrence of an event that gives rise to any claim under this policy there is in existence any other insurance covering the same liability, the Company shall not be liable to pay or contribute more than its rateable proportion of any compensation cost or expense.
7. If any dispute or difference shall arise to the quantum to be paid under the policy (liability being otherwise admitted), such difference shall independently of all other questions be referred to the decision of a sole arbitrator to be appointed in writing by the parties to or if they cannot agree upon a single arbitrator within 30 days of any party invoking arbitration, the same shall be referred to a panel of three arbitrators comprising of two arbitrators one to be appointed by each of the parties to the dispute and the third arbitrator to be appointed by such two arbitrators who shall act as the presiding arbitrator and arbitration shall be conducted under and in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

It is clearly agreed and understood that no difference or dispute shall be referable to arbitration as herein before provided, if the Company has disputed or not accepted liability under or in respect of this policy.

It is hereby expressly stipulated and declared that it shall be a condition precedent to any right of action or suit upon this Policy that the award by such arbitrator/arbitrators of the amount of the loss or damage shall be first obtained.

It is also hereby further expressly agreed and declared that if the Company shall disclaim liability to the Insured for any claim hereunder and such claim shall not, within twelve calendar months from the date of such disclaimer have been made the subject matter of a suit in a court of law, then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.

8. इस पॉलिसी की शर्तों, प्रतिबन्ध और पृष्ठांकन का पालन और उन्हें पूरा करना जो बीमाधारक द्वारा किया जाना अपेक्षित हो तथा प्रस्ताव में दिये गये विवरणों और उत्तरों की सत्यता, इस पॉलिसी के अंतर्गत कंपनी के दायित्व में कोई भुगतान प्राप्त करने के लिए पूर्वगामी शर्त होगी।
9. एकल बीमाधारक की मृत्यु के मामले में यह पॉलिसी तत्काल समाप्त नहीं की जायेगी अपितु वह बीमाधारक की मृत्यु तिथि से तीन माह की अवधि के लिए या इस पॉलिसी की समाप्ति तिथि तक (जो भी पहले हो) वैध रहेगी। इस अवधि के दौरान बीमाधारक के विधिक वारिस जिनके कब्जे में और उपयोग हेतु मोटर वाहन रहेगा वे पॉलिसी अपने नाम(मों) में अंतरित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं या उस मोटर वाहन के लिए नई बीमा पॉलिसी ले सकते हैं।

जहां विधिक वारिस पॉलिसी को अंतरित करने या वाहन के लिए नई पॉलिसी लेने की इच्छा रखते हों, उन्हें चाहिए कि वे बतायी गयी अवधि में कंपनी के पास आवेदन भेजें।

ऐसे सभी आवेदनों में निम्न जोड़ा जाना चाहिए :

- क) बीमाधारक की मृत्यु का प्रमाणपत्र
ख) वाहन के स्वामित्व का प्रमाण
ग) मूल पॉलिसी

पृष्ठांकन

(अनुसूची में बताया गया पृष्ठांकन पॉलिसी का भाग होगा)

आईएमटी.1. भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार

रु..... के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के बाद यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि इस पॉलिसी में किसी बात के अन्वय में अन्यथा होते हुए भी, इस पॉलिसी के भौगोलिक क्षेत्र में, दिनांक/...../..... से दिनांक/...../..... तक (दोनों दिन शामिल हैं) नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में से मामले के अनुसार क्षेत्र शामिल है।

आगे यह भी विशिष्ट रूप से समझा और स्वीकृत माना जाता है कि विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र में बीमाकृत वाहन की समुद्री यात्रा / हवाई यात्रा के द्वारा ले जाते समय बीमाकृत वाहन की क्षति / उसमें सवार यात्रियों की चोटें / तृतीय पक्ष दायित्व के संबंध में आवरण इस भौगोलिक विस्तार में शामिल नहीं है।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधधीन।

आईएमटी.3. हित का अंतरण

एतद्वारा यह घोषित और स्वीकृत माना जाता है कि दि./...../..... से पॉलिसी का हित के में अंतरित और निहित किया जाता है, जो का कारोबार या व्यवसाय चलाते हैं या उसमें शामिल हैं जिन्हें अब बीमाधारक समझा जायेगा और जिनका दिनांक/...../..... के प्रस्ताव और घोषणा को इस पॉलिसी में शामिल करके उसका आधार माना जायेगा।

बशर्त हमेशा कि जिस अवधि में पॉलिसी का हित पिछले बीमाधारक में निहित है, उस अवधि के लिए नो क्लेम बोनस का लाभ को नहीं दिया जायेगा।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधधीन।

आईएमटी.4. वाहन में परिवर्तन

एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि दिनांक/...../..... से जिस वाहन का पंजीकरण क्रमांक है, वह इस पॉलिसी की अनुसूची से हटा दिया जाता है तथा निम्न निर्दिष्ट विवरणों के साथ दूसरा वाहन उसमें जोड़ा जाता है।

पंजीकरण क्रमांक	इंजीन / चैसिस क्रमांक	प्रकार	बॉडी का प्रकार	सी.सी.	निर्माण का वर्ष	ड्राइवर सहित बैठने का क्षमता	आईडीवी रु.

इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप बीमाधारक से रु..... अतिरिक्त प्रीमियम के रूप में लिये जाते हैं / वापस किये जाते हैं।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधधीन।

आईएमटी.5. किराया खरीद करार

एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि (इसके बाद जिन्हें मालिक कहा जायेगा) बीमाकृत वाहन के मालिक हैं और बीमाकृत वाहन किराया खरीद करार के अधीन है जिसमें एक पक्ष मालिक का है और दूसरा पक्ष बीमाधारक का है तथा आगे यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि मालिकों का हित उस राशि में है जो केवल इस पृष्ठांकन के लिए उन्हें देय होगी जो इस पॉलिसी के तहत बीमाकृत वाहन की किसी हानि या क्षति के लिए या मरम्मत और/या पुर्जों के प्रतिस्थापन से ठीक नहीं हो सकती है, बीमाधारक को देय होगी। मालिकों को इसका भुगतान तब तक किया जायेगा जब तक वे बीमाकृत वाहन के मालिक रहेंगे और उनकी रसीद ऐसी हानि या क्षति के भुगतान के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा पूर्ण और अंतिम मानी जायेगी।

आगे यह घोषित और स्वीकृत किया जाता है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत दिये गये मालिक - ड्राइवर के वैयक्तिक दुर्घटना आवरण के लिए पॉलिसी में दिये गये मालिक - ड्राइवर का नाम ही जारी रहेगा बशर्त इस आवरण से संबंधित पॉलिसी के उपबंधों का अनुपालन किया गया हो।

इस पृष्ठांकन में अभिव्यक्त स्वीकृत बातों को छोड़कर कोई बात इस पॉलिसी के संबंध में बीमाधारक या बीमाकर्ता के क्रमशः अधिकारों और दायित्वों में संशोधन नहीं करेगी या प्रभाव नहीं डालेगी।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधधीन।

8. The due observance and fulfillment of the terms, conditions and endorsement of this Policy in so far as they relate to anything to be done complied with by the insured and the truth of the statements and answers in the said proposal shall be condition precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy.
9. In the event of the death of the sole insured this policy will not immediately lapse but will remain valid for a period of three months from the date of the death of insured or until the expiry of this policy (whichever is earlier). During the said period, legal heir(s) of the insured to whom the custody and use of the Motor Vehicle passes may apply to have this Policy transferred to the name(s) of the heir(s) or obtain a new insurance policy for the Motor Vehicle.

Where such legal heir(s) desire(s) to apply for transfer of this policy or obtain a new policy for the vehicle such heir(s) should make an application to the Company accordingly within the aforesaid period.

All such applications should be accompanied by :

- a) Death Certificate in respect of the insured
b) Proof of title to the vehicle
c) Original Policy

ENDORSEMENT

(Only Endorsement mentioned in the schedule form part of this policy)

IMT.1. EXTENSION OF GEOGRAPHICAL AREA

In consideration of the payment of an additional premium of Rs..... it is hereby understood and agreed that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary the Geographical Area in this Policy shall from the/...../..... to the/...../..... (both days inclusive) be deemed to include Nepal, Sri Lanka, Maldives, Bhutan, Pakistan, Bangladesh as the case may be.

It is further specifically understood and agreed that such geographical extension exclude cover for damage to the vehicle insured / injury to its occupants / third party liability in respect of the vehicle insured during sea voyage / air passage for the purpose of ferrying the vehicle insured to the extended geographical area.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

IMT.3. TRANSFER OF INTEREST

It is hereby understood and agreed that as from/...../..... the interest in the policy is transferred to and vested in of carrying on or engaged in the business or profession of who shall be deemed to be the insured and whose proposal and declaration dated/...../..... shall be deemed to be incorporated in and to be the basis of this contract.

Provided always that for the purpose of the No Claim Bonus, no period during which the interest in this policy has been vested in any previous insured shall accrue to the benefit of.....

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

IMT.4. CHANGE OF VEHICLE

It is hereby understood and agreed that as from/...../..... the vehicle bearing Registration Number is deemed to be deleted from the Schedule of the Policy and the vehicle with details specified hereunder is deemed to be included therein.

Regd. No.	Engine/ Chassis No.	Make	Type of Body	C.C.	Year of Manufacture	Seating Capacity including Driver	IDV Rs.

In consequence of this change an extra / refund premium of Rs..... is charged / allowed to the insured.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

IMT.5. HIRE PURCHASE AGREEMENT

It is hereby understood and agreed that (hereinafter referred to as the Owners) are the Owners of the vehicle insured and that vehicle insured is subject of an Hire Purchase Agreement made between the Owners on the one part and the insured on the other part and it is further understood and agreed that the Owners are interested in any monies which but for this Endorsement would be payable to the insured under this policy in respect of such loss or damage to the vehicle insured as cannot be made good by repair and/or replacement of parts and such monies shall be paid to the Owners as long as they are the Owners of the vehicle insured and their receipt shall be a full and final discharge to the insurer in respect of such loss or damage.

It is further declared and agreed that for the purpose of the Personal Accident Cover for the owner - driver granted under this policy, the insured name in the policy will continue to be deemed as the owner-driver subject to compliance of provisions of the policy relating to this cover.

Save as by this Endorsement expressly agreed nothing therein shall modify or affect the rights and liabilities of the insured or the insured respectively under or in connection with this Policy.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

आईएमटी.6. पट्टे का करार

एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि, (इसके बाद जिन्हें पट्टा देनेवाले कहा जायेगा) बीमाकृत वाहन के मालिक हैं और बीमाकृत वाहन पट्टे के करार के अधीन है जिसमें एक पक्ष पट्टा देने वाले का है और दूसरा पक्ष बीमाधारक का है तथा आगे यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि पट्टा देने वालों का हित उस राशि में है जो केवल इस पृष्ठांकन के लिए उन्हें देय होगी जो इस पॉलिसी के तहत बीमाकृत वाहन की किसी हानि या क्षति के लिए जो मरम्मत और/या पुर्जों के प्रतिस्थापन से ठीक नहीं हो सकता है, बीमाधारक को देय होगी। पट्टा देनेवालों को इसका भुगतान तब तक किया जायेगा जब तक वे बीमाकृत वाहन के मालिक रहेंगे और उनकी रसीद ऐसी हानि या क्षति के भुगतान के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा पूर्ण और अंतिम मानी जायेगी। यहां यह भी समझा और स्वीकृत माना जाता है कि पट्टा किराया में किसी उपबंध के अन्वयाह होते हुए भी यह पॉलिसी बीमाधारक को प्रधान पक्ष के रूप में जारी की जाती है और यह एजेंट या न्यासी के रूप में उसे जारी नहीं की जाती है तथा यहां लिखित बातों से यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि पट्टा देनेवालों को बीमाधारक द्वारा इस पॉलिसी के तहत उसके अधिकार, लाभ और दावों के लिए किये गये समनुदेशन (चाहे विधि हो या इक्विटेबल हो) के तहत पट्टा देनेवाले बीमाधारक और एजेंट या न्यासी हैं। आगे यह भी अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि मालिक / पट्टा देनेवाला अपने पास ऐसा कोई अधिकार निर्मित या निहित रखता है जिससे वह किसी भी क्षमता में बीमाकर्ता पर यहां दी गयी बाध्यताओं के उल्लंघन के दोष हेतु मुकदमा दायर कर सके।

आगे यह घोषित और स्वीकृत किया जाता है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत दिये गये मालिक - ड्राइवर के वैयक्तिक दुर्घटना आवरण के लिए पॉलिसी में दिये गये मालिक - ड्राइवर का नाम ही जारी रहेगा बशर्ते इस आवरण से संबंधित पॉलिसी के उपबंधों का अनुपालन किया गया हो।

इस पृष्ठांकन में अभिव्यक्त स्वीकृत बातों को छोड़कर कोई बात इस पॉलिसी के संबंध में बीमाधारक या बीमाकर्ता के क्रमशः अधिकारों और दायित्वों में संशोधन नहीं करेगी या प्रभाव नहीं डालेगी।

आईएमटी.7. बंधक करार के अधीन वाहन

एतद्वारा यह घोषित और स्वीकृत किया जाता है कि बीमाकृत वाहन को के पास गिरवी / बंधक रखा गया है (जिन्हें इसके बाद बंधकग्राही कहा जायेगा) तथा आगे यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बंधकग्राही का हित उस राशि में है जो केवल इस पृष्ठांकन के लिए उन्हें देय होगी, जो इस पॉलिसी के तहत बीमाकृत की किसी हानि या क्षति के लिए, जो मरम्मत और/या पुर्जों के प्रतिस्थापन से ठीक नहीं हो सकती है, बीमाधारक को देय होगी। बंधकग्राही को इसका भुगतान तब तक किया जायेगा जब तक वे बीमाकृत वाहन के बंधकग्राही रहेंगे और उनकी रसीद ऐसी हानि या क्षति के भुगतान के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा पूर्ण और अंतिम मानी जायेगी।

आगे यह घोषित और स्वीकृत किया जाता है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत दिये गये मालिक - ड्राइवर के वैयक्तिक दुर्घटना आवरण के लिए पॉलिसी में दिये गये मालिक - ड्राइवर का नाम ही जारी रहेगा बशर्ते इस आवरण से संबंधित पॉलिसी के उपबंधों का अनुपालन किया गया हो।

इस पृष्ठांकन में अभिव्यक्त स्वीकृत बातों को छोड़कर कोई बात इस पॉलिसी के संबंध में बीमाधारक या बीमाकर्ता के क्रमशः अधिकारों और दायित्वों में संशोधन नहीं करेगी या प्रभाव नहीं डालेगी।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन।

आईएमटी.8. पंजीकृत आटोमोबाइल एसोसिएशन की सदस्यता के लिए छूट (केवल निजी गाड़ियाँ तथा मोटराइज्ड टुपहिया)

एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बीमाधारक की के साथ सदस्यता के लिए प्रीमियम में रु. की छूट बीमाधारक को दिनांक से इसके अंतर्गत अनुमत है।

यहां आगे यह भी समझा और स्वीकृत माना जाता है कि यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक उपर्युक्त उल्लिखित एसोसिएशन का सदस्य नहीं रहता है तो बीमाधारक तदनुसार तत्काल बीमाकर्ता को सूचित करेगा और आवरण की शेष अवधि के लिए अनुमत छूट की यथानुपात राशि बीमाकर्ता को वापस करेगा।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन।

*पॉलिसी की पूरी अवधि के लिए पूरे टैरिफ छूट को दर्शाया जाये, मध्यावधि सदस्यता के लिए पॉलिसी की शेष अवधि हेतु टैरिफ छूट का यथानुपात भाग दर्शाया जाये।

**संबंधित आटोमोबाइल एसोसिएशन का नाम लिखा जाये।

आईएमटी.10. चोरी - प्रतिकारक साधन का संस्थापन

(मोटर ट्रेड पॉलिसियों पर लागू नहीं)

..... द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर कि आटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे द्वारा स्वीकृत चोरी - प्रतिकारक साधन वाहन में संस्थापित किया गया है, एतद्वारा बीमाधारक को बीमाकृत वाहन के प्रीमियम में रु. की छूट अनुमत है।

आगे यह भी समझा और स्वीकृत माना जाता है कि बीमाधारक इस पॉलिसी की समाप्ति तक बीमाकृत वाहन में लगाये गये चोरी - प्रतिकारक साधन का हर समय सक्षम और कार्यरत रहना सुनिश्चित करेगा।

अन्यथा इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन।

*प्रमाणपत्र देनेवाले आटोमोबाइल एसोसिएशन का नाम दर्शाया जाये।

** टैरिफ प्रावधानों के अनुसार प्रीमियम छूट का परिकलन दर्शाया जाये। चोरी - प्रतिकारक साधन के मध्यावधि प्रमाणपत्र के लिए पॉलिसी की शेष अवधि हेतु यथानुपात टैरिफ छूट का भाग दर्शाया जाये।

आईएमटी.12. अंध, विकलांग और मानसिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष तौर पर डिजाइन / संशोधित किए गए वाहन के लिए छूट

पॉलिसी में किसी बात के अन्वयाह होते हुए भी एतद्वारा यह समझा और स्वीकृत माना जाता है कि अंध, विकलांग और मानसिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन / संशोधित किया गया वाहन, जिसकी पंजीकरण

IMT.6. LEASE AGREEMENT

It is hereby understood and agreed that (hereinafter referred to as the Lessors) are the Owners of the vehicle insured and that vehicle insured is the subject of a Lease Agreement made between the Lessor on the one part and the insured on the other part and it is further understood and agreed that the Lessor are interested in any monies which but for this Endorsement would be payable to the insured under this policy in respect of such loss or damage to the vehicle insured as cannot be made good by repair and/or replacement of parts and such monies shall be paid to the Lessor as long as they are the Owners of the vehicle insured and their receipt shall be a full and final discharge to the insurer in respect of such loss or damage. It is also understood and agreed that notwithstanding any provision in the Leasing Agreement to the contrary, this policy is issued to the insured namely as the principal party and not as agent or trustee and nothing herein contained shall be construed as constituting the insured an agent or trustee for the Lessors or as an assignment (whether legal or equitable) by the insured to the Lessors, of his rights benefits and claims under this policy and further nothing herein shall be construed as creating or vesting any right in the Owner/Lessor to sue the insurer in any capacity whatsoever for any alleged breach of its obligation hereunder.

It is further declared and agreed that for the purpose of the Personal Accident Cover for the owner - driver granted under this policy, the insured named in the policy will continue to be deemed as the owner-driver subject to compliance of provisions of the policy relating to this cover.

Save as by this Endorsement expressly agreed nothing therein shall modify or affect the rights and liabilities of the Insured or the Insurer respectively under or in connection with this Policy.

IMT.7. Vehicles subject to Hypothecation Agreement

It is hereby declared and agreed that the vehicle insured is pledged to hypothecate with (hereinafter referred to as the "Pledgee") and it is further understood and agreed that the Pledgee is interested in any monies which but for this Endorsement would be payable to the insured under this policy in respect of such loss or damage to the vehicle insured as cannot be made good by repair and/or replacement of parts and such monies shall be paid to the Pledgee as long as they are the Pledgee of the vehicle insured and their receipt shall be a full and final discharge to the insurer in respect of such loss or damage.

It is further declared and agreed that for the purpose of the Personal Accident Cover for the owner - driver granted under this policy, the insured name in the policy will continue to be deemed as the owner-driver subject to compliance of provisions of the policy relating to this cover.

Save as by this Endorsement expressly agreed nothing therein shall modify or affect the rights and liabilities of the Insured or the Insurer respectively under or in connection with this Policy or any term, provision or condition thereof.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

IMT.8. DISCOUNT FOR MEMBERSHIP OF RECOGNISED AUTOMOBILE ASSOCIATIONS (PRIVATE CARS AND MOTORISED TWO WHEELERS ONLY)

It is hereby understood and agreed that in consideration of insured's membership of a discount in premium of Rs. is allowed to the insured hereunder from/...../.....

It is further understood and agreed that if the insured ceases to be a member of the above mentioned association during the currency of this Policy the insured shall immediately notify the insurer accordingly and refund to the insurer a proportionate amount of the discount allowed on this account for the unexpired period of the cover.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

*For full policy period, the full tariff discount to be inserted. For mid-term membership, pro rata proportion of the tariff discount for the unexpired policy period is to be inserted.

**Insert name of the concerned Automobile Association.

IMT.10. INSTALLATION OF ANTI-THEFT DEVICE

(Not applicable to Motor Trade Policies)

In consideration of certification by that an Anti-Theft device approved Automobile Research Association of India (ARAI), Pune has been installed in the vehicle insured herein a premium discount of Rs. is hereby allowed to the insured.

It is hereby understood and agreed that the insured shall ensure at all times that the Anti-theft device installed in the vehicle insured is maintained in efficient condition till the expiry of this policy.

Subject otherwise to the terms, exceptions, conditions and limitations of this Policy.

*The name of the certifying Automobile Association is to be inserted.

** Premium discount calculated as per tariff provisions is to be inserted for mid-term certification of installation of Anti-theft device pro-rata proportion of tariff discount for the unexpired period is to be inserted.

IMT.12. DISCOUNT FOR SPECIALLY DESIGNED/MODIFIED VEHICLE FOR THE BLIND, HANDICAPPED AND MENTALLY CHALLENGED PERSONS

Notwithstanding anything to the contrary contained in the policy it is hereby understood and agreed that the vehicle insured being specially designed / modified for use of blind, handicapped and mentally challenged person and suitable endorsement to this effect having been incorporated in the Registration Book by the Registering Authority, a discount